सिडबी
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

प्रधान कार्यालय : सिडबी टावर, 15, अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001

सामान्य वर्ग में ग्रेड ए अधिकारियों की भर्ती: 2016

अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे आवेदन से संबंधित सभी अनुदेश एवं इस विज्ञापन में दिए गए सामान्य अनुदेश ध्यानपूर्वक पढ़कर, बैंक की वेबसाइट **www.sidbi.in** के माध्यम से **ऑनलाइन** आवेदन करें। **आवेदन का कोई अन्य साधन /तरीका /प्रिंटआउट स्वीकार नहीं किया जाएगा।**

महत्वपूर्ण तिथियाँ	
ऑनलाइन पंजीकरण का प्रारंभ / शुल्क का भुगतान	**21 दिसंबर, 2015**
ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि / शुल्क का भुगतान	**11 जनवरी, 2016**
पात्रता मानदंड के अनुसार आयु संबंधी पात्रता के निर्धारण की अंतिम तिथि	**21 दिसंबर, 2015**
पात्रता मानदंड के अनुसार शैक्षिक अर्हता संबंधी पात्रता के निर्धारण की अंतिम तिथि	**11 जनवरी, 2016**

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के संवर्द्धन, वित्तपोषण तथा विकास के लिए स्थापित शीर्ष वित्तीय संस्था है। बैंक ने हाल ही में अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मनाया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों ने पिछले छह दशकों में औद्योगिक क्षेत्र में रचनात्मकता, नवोन्मेषिता और गतिशीलता की दृष्टि से योगदान किया है, जिसके फलस्वरूप देश भर में औद्योगिक विकास का विस्तार हुआ है। बैंक का **लक्ष्य** है - "*सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को सशक्त बनाना, ताकि आर्थिक संवृद्धि, रोजगार सृजन तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास की प्रक्रिया में सहयोग किया जा सके।*" बैंक जिस **दर्शन** के साथ कार्यरत है, वह है - "*सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को सुदृढ़, ऊर्जावान तथा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी बनाने के उद्देश्य से उसकी वित्तीय और विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति का एकल केन्द्र बनना, सिडबी की छवि श्रेयस्कर और ग्राहक-अनुकूल संस्था के रूप में स्थापित करना तथा आधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए शेयरधारकों के धन व सर्वोत्तम निगमित मूल्यों की वृद्धि करना।*"

बैंक का विश्वास है इसके लोग, प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी ग्राहक सेवा उपलब्ध कराने वाले प्रमुख संचालक हैं। बैंक का दृढ़ मत है कि इसका मानव संसाधन इसकी सर्वाधिक मूल्यवान आस्ति है।

बैंक नीचे दिए गए विवरण के अनुसार **सहायक प्रबंधक (ग्रेड ए - सामान्य धारा)** पद के लिए सभी पात्र और उपयुक्त उम्मीदवारों से आवेदनपत्र आमंत्रित करता है-

पद का नाम **वेतनमान** **न्यूनतम सकल परिलब्धियाँ** (प्र.मा.)	**रिक्तियों की कुल संख्या**	**पद कूट**	**आरक्षित रिक्तियाँ**				
			अजा	**अजजा**	**अन्य पिछड़ा वर्ग**	**विकलांग जन***	
						दृबा	**शा.**
सहायक प्रबंधक ग्रेड 'ए' - सामान्य धारा रु. 17100 - 1000 (11) - 28100 - दरो-1000 (4) - 32100 - 1100 (1) - 33200 (17 वर्ष) ` **36,000/- लगभग**	100	1	15	8	27	4*	4*

*** पद दृष्टिबाधित विकलांगों एवं शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए आरक्षित। पद श्रवण बाधित विकलांगों के लिए उपयुक्त नहीं है।**

1.

(i) ऊपर उल्लिखित पदनाम / पद का नाम केवल निर्देशात्मक है। बैंक को किसी भी समय बिना सूचना दिए पदनाम / पद के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार है।

(ii) सिडबी को अभ्यर्थियों की प्रतीक्षासूची बनाने और वास्तविक आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों पर विचार करने का अधिकार है। नियुक्ति के प्रस्ताव बैंक की आवश्यकता के अनुसार चरणों में जारी किए जा सकते हैं।

(iii) उपर्युक्त अनारक्षित एवं आरक्षित रिक्तियों सहित रिक्तियों की कुल संख्या अनंतिम हैं और बैंक की आवश्यकता के आधार पर इसमें परिवर्तन हो सकता है। अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़े वर्ग/विकलांग व्यक्ति के वर्गों की रिक्तियों में संबंधित वर्ग की पिछली रिक्तियाँ और कमी वाली रिक्तियाँ शामिल हैं। ऊपर अंकित आरक्षित रिक्तियों की सही-सही संख्या जारी नियुक्ति-प्रस्तावों की वास्तविक संख्या /कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर भिन्न हो सकती है।

(iv) अन्य पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी 'ऑनलाइन' पंजीकरण की अंतिम तिथि पर 'संपन्न वर्ग' (क्रीमी लेयर) में आते हैं, उन्हें अनारक्षित वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के अंतर्गत आवेदन करें।

(v) **स्पष्ट किया जाता है कि विकलांग अभ्यर्थियों को बैंक के सभी कार्यालयों / विभागों में नियुक्त करना संभव नहीं होगा और उन्हें उस पद / केंद्र पर कार्य करना होगा, जिसका इस संबंध में बैंक निर्णय करेगा।**

(vi) **यदि निर्दिष्ट श्रेणी के उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होंगे तो बैंक शारीरिक रूप से विकलांग एवं दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के बीच आरक्षण के परस्पर विनिमय की अनुमति दे सकता है।**

(vii) बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार पहले से (सिडबी में नियुक्ति से पूर्व) जेएआईआईबी /सीएआईआईबी उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थी संबंधित वेतनमान में एक /दो अग्रिम वेतनवृद्धि की मंजूरी पर विचार किए जाने के लिए पात्र होंगे, बशर्ते वे इस संबंध में बैंक की संतुष्टि के अनुरूप दस्तावेज़ी प्रमाण प्रस्तुत करें।

(viii) जो अभ्यर्थी बैंक के लिए मूल्यवान अच्छी अकादमिक अर्हता या विशेष अनुभव रखता होगा, उसे बैंक अपने विवेक के अनुसार, उस वेतनमान में अधिकतम 4 अग्रिम वेतनवृद्धियाँ (जेएआईआईबी /सीएआईआईबी वेतनवृद्धियों सहित) मंजूर कर सकता है, जिस वेतनमान में अभ्यर्थी को पद का नियुक्ति-प्रस्ताव दिया गया है। तथापि, बैंक ऐसे अनुरोधों की मामला-दर-मामला आधार पर केवल तभी जाँच करेगा, जब अभ्यर्थी ड्यूटी के लिए रिपोर्ट कर देगा और बैंक की अपेक्षा के अनुरूप आवश्यक दस्तावेज़ी प्रमाण प्रस्तुत करेगा। ऐसी अग्रिम वेतनवृद्धियों की मंजूरी करने या न करने और साथ ही, ऐसी अग्रिम वेतनवृद्धियाँ मंजूर करने की तिथि का बैंक का निर्णय अंतिम होगा और अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा तथा इस संबंध में किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ix) ऊपर उल्लिखित वेतनमान के अनुसार प्रदत्त परिलब्धियों के अलावा, ऊपर अंकित पद पर बैंक के नियमों के अनुसार अन्य सुविधाएँ, जैसे - पेंशन, ग्रैच्युटी, छुट्टी किराया रियायत (स्वयं, जीवन-साथी और पात्र आश्रितों के लिए दो वर्ष में एक बार), चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, वाहन रखरखाव व्यय/भत्ता, लाउंज व्यय, टेलीफोन व्यय, समाचार पत्र, पुस्तक अनुदान, शिक्षा व्यय, आवास की साज-सज्जा, एक महीने की सकल परिलब्धियों तक की राशि का ब्याज-मुक्त त्यौहार अग्रिम, बैंक के आवास या उसके स्थान पर पट्टे पर फ़्लैट की सुविधा, कार, मकान, व्यक्तिगत कंप्यूटर/टैब्लेट आदि के लिए रियायती दरों पर ऋण एवं अग्रिम आदि की सुविधा उपलब्ध है। पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में 'सुनिश्चित अंशदायी नई पेंशन योजना (एनपीएस)' लागू होगी।

(x) उपर्युक्त पदों के लिए सिडबी के स्टाफ़ भी आवेदन कर सकते हैं। बैंक को उन्हें अधिकतम आयु सीमा, आवेदन शुल्क, आदि के संबंध में ऐसी समुचित छूट/रियायत देने का अधिकार है, जो बैंक उचित समझे।

(xi) आरक्षण का लाभ उठाने के लिए विकलांगताओं की परिभाषाएँ और विकलांगता की सीमा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार होंगी। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट देख सकते हैं।

(xii) चयनित अभ्यर्थी को 3 वर्ष की अवधि के लिए बैंक में सेवा करने या 3 वर्ष की सेवा अवधि पूरी होने से पहले बैंक से त्यागपत्र देने की स्थिति में बैंक को रु. 2 लाख की रक़म अदा करने से संबंधित सेवा-बॉण्ड निष्पादित करना होगा।

2. परिवीक्षा एवं तैनाती / स्थानांतरण

चयनित अभ्यर्थी 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखे जाएँगे, जिसे बैंक के विवेक पर 4 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही, बैंक के विवेक पर उन्हें समय-समय पर बैंक के विभिन्न कार्यालयों /उद-भागों /सहयोगी संस्थाओं / सहायक संस्थाओं में उन शर्तों पर तैनात / स्थानांतरित किया जा सकेगा, जिनका बैंक निर्णय करेगा।

3. आरक्षण /छूट /रियायत

(i) अ.जा./ अ.ज.जा./ अ.पि.व./ विकलांग व्यक्तियों / भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी के अभ्यर्थियों को भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आरक्षण/छूट/रियायत प्रदान की जाएगी।

(ii) विकलांग अभ्यर्थियों के पास निर्धारित प्ररूप में अपनी विकलांगता से संबंधित हाल का प्रमाणपत्र होना चाहिए, जिसे किसी सक्षम प्राधिकारी ने जारी किया हो। विकलांगता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी केंद्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा विधिवत् गठित चिकित्सा बोर्ड होगा। केंद्रीय/राज्य सरकार कम से कम 3 सदस्यों वाला चिकित्सा बोर्ड गठित कर सकती है, जिसमें कम से कम एक सदस्य शारीरिक गतिशीलता (लोकोमोटर) /प्रमस्तिष्क (सेरेब्रल) /दृष्टि (विज़ुअल) /श्रवण (हियरिंग), जैसा मामला हो, संबंधी विशेषज्ञ होना चाहिए। ऐसे लाभ का दावा करनेवाले अभ्यर्थियों को अपने दावे के प्रमाणस्वरूप आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को या उससे पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल प्रमाणपत्र साक्षात्कार/प्रक्रिया के किसी भी चरण में प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाणपत्र इस आवेदन के अंत में उपलब्ध प्ररूप में होना चाहिए। विकलांग व्यक्ति के लिए आरक्षण क्षैतिज आरक्षण कहलाता है और इन पदों को संबद्ध आरक्षण रोस्टर में पदधारियों की संख्या के प्रति समायोजित किया जाएगा। विकलांगता प्रमाणपत्र का प्ररूप सिडबी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(iii) **विकलांगता श्रेणियों की परिभाषाएँ**

नि:शक्त जन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 के अनुसार केवल ऐसे व्यक्ति आरक्षण के लिए पात्र होंगे जिनमें संगत विकलांगता कम से कम 40% हों, और जिनको केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड ने प्रमाणित किया हो।

क. दृष्टिबाधिता- से आशय है ऐसा व्यक्ति जिसमें नीचे उल्लिखित किसी एक विशेषता से युक्त हो

(अ) दृष्टि का पूर्ण अभाव, अथवा (ब) सर्वोत्तम सुधारात्मक लेंस से भी बेहतर आँख की दृष्टि-क्षमता 6/60 अथवा 20/200 (स्नेलेन चार्ट) से अधिक न हो, अथवा दृष्टि-क्षेत्र की बाधिता 20डिग्री या उससे भी कम सबटेंडिंग कोण वाली हो।

(द) अल्प दृष्टि वाला व्यक्ति : अर्थात् ऐसा व्यक्ति जिसकी देखने की क्षमता उपचार या मानक अपवर्तक सुधार के बाद भी बाधित हो, किंतु जो उपयुक्त सहायक उपकरणों की सहायता से किसी कार्य का आयोजन या निष्पादन करता हो या उसमें ऐसा करने की सक्षमता विद्यमान हो।

ख. शारीरिक रूप से विकलांग

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति वह है, जो शारीरिक गतिशीलता संबंधी विकलांगता या प्रमस्तिष्क पक्षाघात (सेरेब्रल पाल्सी) से पीड़ित हो। जो व्यक्ति कम से कम 40% संगत विकलांगता से पीड़ित हैं (केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त चिकित्सा बोर्ड के प्रमाणन के अनुसार), वे सेवा /पद में आरक्षण के लिए पात्र होंगे।

क**) गतिशीलता संबंधी विकलांगता** से तात्पर्य है **-** हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की विकलांगता, जिसके कारण हाथ-पाँव की गतिशीलता पर्याप्त रूप से बाधित होती हो अथवा प्रमस्तिष्क पक्षाघात का कोई रूप।

ख**) प्रमस्तिष्क पक्षाघात** से तात्पर्य है -किसी व्यक्ति में ठीक नहीं हो सकने वाली दशाओं का समूह, जिसके लक्षण हैं- चलने-फिरने पर नियंत्रण न होने के कारण शरीर का असामान्य आकार जो मस्तिष्क-प्रघात या प्रसव-पूर्व, प्रसव के समय अथवा शैशव काल में मस्तिष्क पर चोट के परिणामस्वरूप हो सकती है।

केवल निम्नलिखित श्रेणी में आने वाले व्यक्ति इस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र हैं :

बीएल : दोनों पाँव प्रभावित किंतु भुजाएँ प्रभावित नहीं।

ओए : एक भुजा प्रभावित (दाहिनी या बाँईं)

(क) विकृत पहुँच

(ख) पकड़ की दुर्बलता

(ग) गतिविभ्रम

ओएल : एक पाँव प्रभावित (दाहिनी या बाँईं)

एमडब्ल्यू : मांसपेशीय दुर्बलता और सीमित शारीरिक सहनशीलता

4. पात्रता मानदंड
Eligibility Criteria

4.1 राष्ट्रीयता /नागरिकता

अभ्यर्थी को या तो

(i) भारत का नागरिक होना चाहिए या

(ii) नेपाल का नागरिक होना चाहिए या

(iii) भूटान का नागरिक होना चाहिए या

(iv) तिब्बत का ऐसा शरणार्थी होना चाहिए, जो (1 जनवरी, 1962 के पहले) भारत में स्थायी रूप से निवास करने के इरादे से भारत आया हो या

(v) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों जैसे केन्या, युगाण्डा, संयुक्त तन्जानिया गणराज्य (पूर्व में तंगन्यिका तथा ज़ान्ज़ीबार),

ज़ाम्बिया, मालावी, ज़ाइरे, इथोपिया तथा वियतनाम से प्रव्रजित होकर भारत में स्थायी रूप से निवास करने के आशय से आया हो।

परन्तु, उपर्युक्त श्रेणी (ii), (iii), (iv) तथा (v) में आने वाला अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में भारत सरकार ने पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया हो। जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक है, उसे बैंक द्वारा आयोजित परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति दी जा सकती है, किन्तु अंतिम चयन होने पर, नियुक्ति का प्रस्ताव तभी दिया जाएगा, जब भारत सरकार द्वारा उसे आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया हो।

4. 2 आयु सीमा (यथा 21 दिसंबर, 2015) (इसे 4.3 के साथ पढ़ा जाए)

न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा
आयु **21 वर्ष** से कम और **28 वर्ष** से अधिक नहीं होनी चाहिए। {केवल वे अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र हैं, जो 22.12.1987 से पहले तथा 21.12.1994 के बाद (दोनों तारीखों सहित) न जन्मे हों}

4.3 अधिकतम आयु सीमा में निम्नवत् छूट दी जाएगी:-

(i) अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तक, जिनके पास सक्षम प्राधिकारी का ऐसा प्रमाणपत्र है, जिसमें गैर-संपन्न वर्ग खंड शामिल हो।

(ii) निम्नलिखित के संबंध में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक-

(क) अ.जा./अ.ज.जा. के अभ्यर्थी

(ख) ऐसे अभ्यर्थी जो 01.01.1980 से 31.12.1989 के दौरान सामान्यतः जम्मू-कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों तथा

(ग) 1984 के दंगों में मारे गए व्यक्तियों के बच्चे /परिवार के सदस्य

(iii) विकलांग व्यक्ति (अनारक्षित) के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष तक; विकलांग व्यक्ति (अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए अधिकतम आयु सीमा में 13 वर्ष तक तथा विकलांग व्यक्ति (अ.जा./अ.ज.जा.) के लिए अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष तक

(iv) भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को (भूतपूर्व सैनिक (केन्द्र सरकार की सेवाओं एवं पदों पर पुनर्नियोजन) संशोधन नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार) अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट। इसमें आपातकालीन कमीशन-प्राप्त अधिकारी/शॉर्ट सेवा कमीशन-प्राप्त अधिकारी शामिल हैं, बशर्ते अभ्यर्थी ने लगातार कम से कम पाँच वर्ष की सैन्य सेवा की हो और कार्य समाप्ति के पश्चात् सेवामुक्त किए गए हों (इनमें वे भी शामिल हैं, जिनका कार्य एक वर्ष के भीतर समाप्त होने वाला है)। सेवा-मुक्ति बर्खास्तगी अथवा दुर्व्यवहार अथवा अकुशलता अथवा शारीरिक अक्षमता अथवा सैन्य सेवा के कारण होनेवाली शारीरिक अक्षमता अथवा अशक्तता के आधार पर नहीं होनी चाहिए। (iii) जिन आपातकालीन कमीशन-प्राप्त अधिकारियों/शॉर्ट सर्विस कमीशन-प्राप्त अधिकारियों ने अपनी सैन्य सेवा का पाँच वर्ष का कार्य-काल पूरा कर लिया है, किन्तु जिनका कार्य-काल पाँच वर्ष से आगे बढ़ा दिया गया है, और जिनके मामले में, चयन के पश्चात् रक्षा मंत्रालय प्रमाणपत्र जारी करता है कि

उनको नियुक्ति-पत्र मिलने की तारीख से 03 माह के भीतर कार्य-मुक्त कर दिया जाएगा, वे भी इनमें शामिल हैं।

टिप्पणियाँ

- कोई भूतपूर्व सैनिक, जिसने अपने पुनर्नियोजन के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में उपलब्ध लाभ का उपयोग करते हु ए नागरिक सेवाओं के क्षेत्र की सरकारी सेवा में एक बार नियुक्ति प्राप्त कर ली हो, तो दोबारा सरकारी सेवा में उसके पुनर्नियोजन के उद्देश्य से उसकी भूतपूर्व सैनिक की हैसियत समाप्त हो जाती है।
- सरकार के निर्देशों के अनुसार, आयु सीमा में छूट संचयी आधार पर उपलब्ध नहीं होगी, केवल विभागीय स्टाफ अभ्यर्थी के मामले को छोड़कर, जिन्हें 5 वर्ष की छूट उक्त बिंदु क्रमांक 4.4 (iii) के अंतर्गत दी गई है ।
- सभी व्यक्ति, जो उपर्युक्त (ii) (ख) के अंतर्गत आयु में छूट के लिए पात्र हैं, उन्हें साक्षात्कार के समय संबंधित ज़िला मजिस्ट्रेट अथवा जम्मू तथा कश्मीर सरकार द्वारा पदनामित किसी अन्य प्राधिकारी का अधिवास प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसके क्षेत्राधिकार में वह सामान्यत: निवास करता रहा हो। प्रमाणपत्र में इस आशय का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि अभ्यर्थी 01.01.1980 से 31.12.1989 के दौरान जम्मू तथा कश्मीर राज्य का सामान्यत: निवासी रहा /रही है।

4.4 अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएँ (यथा 11 जनवरी, 2016 को)

पद का नाम	**वर्ग**	**शैक्षणिक योग्यता**
सहायक प्रबंधक ग्रेड ए -सामान्य धारा	**सामान्य धारा**	किसी मान्यताप्राप्त संस्थान /विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि (इनमें से किसी एक उपाधि में समग्रत: कम से कम 60% अंक हों) (अ.जा./अ.ज.जा. के लिए 55% अंक)। जिन अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, सीएफ़ए, एमबीए, इंजीनियरिंग, तथा बैंकिंग में डिप्लोमा होगा, उन्हें वरीयता दी जाएगी। ***कंप्यूटर में प्रवीणता को वरीयता दी जाएगी।***

टिप्पणियाँ

(i) बैंक इस विज्ञापन की प्रतिक्रिया में प्राप्त आवेदनों के आधार पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताओं, अंकों के प्रतिशत और न्यूनतम शिक्षोत्तर कार्य अनुभव संबंधी पात्रता मानदंडो को ऊँचा करने / आशोधित करने का अधिकार रखता है।

(ii) जिन अभ्यर्थियों का परिणाम प्रतीक्षित है, वे आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

(iii) स्टाफ़ अभ्यर्थी भी आवेदन करने के लिए पात्र हैं, बशर्ते वे पात्रता मानदंड पूरा करते हों। उन्हें पात्रता मानदंडों के अधीन आयु में 5 वर्ष की शिथिलता तथा सामान्य भर्ती के लिए लागू आवेदन शुल्क से छूट दी जा सकती है। आयु में 5 वर्ष की शिथिलता उनके संबंधित अ.जा./अ.ज.जा/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग व्यक्ति श्रेणी के लिए दी जाने वाली छूट के अतिरिक्त होगी।

(iv) प्रतिशत अंकों की गणना करने हेतु अभ्यर्थी द्वारा सभी विषयों के सभी सेमेस्टरों वर्ष वर्षों में प्राप्त किए गए कुल अंकों को सभी विषयों के कुल अधिकतम अंकों से विभाजित किया जाएगा, जो विषयों के मानद **/ वैकल्पिक / अतिरिक्त वैकल्पिक (यदि हों) होने के निरपेक्ष होगा । यह उन विश्वविद्यालयों हेतु भी लागू होगा, जहां श्रेणी / ग्रेड का निर्णय मानद विषयों में प्राप्त अंकों के आधार पर ही किया जाता है । ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी को स्नातक में प्राप्त किए गए प्रतिशत को निकटतम दो दशमलव अंकों तक दर्शाना चाहिए । इस प्रकार निकाले गए प्रतिशत के अंश पर ध्यान नहीं दिया जाएगा अर्थात** 59.99% को 60 % से कम माना जाएगा तथा 54.99% को 55 % से कम माना जाएगा ।

(v) कुछ विश्वविद्यालयों / संस्थानों द्वारा श्रेणी या अंकों के प्रतिशत नहीं दिए जाते तथा कुल ग्रेड अंक आवंटित किए जाते हैं [अर्थात सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई आदि] । जहां सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई आदि दिए जाते हैं, वहां पर इन्हें प्रतिशत में रूपांतरित करके ऑनलाइन आवेदन में दर्शाया जाना चाहिए । यदि विश्वविद्यालय / संस्थान कुल ग्रेड अंकों को श्रेणी तथा /अथवा अंकों के प्रतिशत में रूपांतरित करने का कोई मानदंड परिभाषित करती है, तो उसे स्वीकार किया जाएगा । तथापि, जहां पर विश्वविद्यालय / संस्थान कुल ग्रेड अंकों को श्रेणी तथा /अथवा अंकों के प्रतिशत में रूपांतरित करने का कोई मानदंड परिभाषित नहीं करती है, तो इस स्थिति में इसकी गणना निम्नवत की जाएगी :

समकक्ष सीजीपीए / ओजीपीए /सीपीआई अथवा इसी प्रकार की शब्दावलियां, जो 10 अंकों की स्केल पर दी जाती हों	**श्रेणी / दर्जा**	**अंकों का कुल %**
6.75	I [प्रथम]	60%
6.25	II [द्वितीय]	55%

[क] जहां कुल ग्रेड अंक अथवा अंकों का प्रतिशत दिया गया हो, तो वह पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के दौरान कुल अंक दर्शाएगा ।

[ख] जहां कुल ग्रेड अंक [सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई आदि] 10 के अलावा किसी अन्य संख्या में से दिए जाते हों, तो इसे 10 के समतुल्य परिवर्तित करते हुए, इसकी गणना उक्त मद[i] के अनुरूप की जाएगी ।

ग] सभी शैक्षणिक योग्यताएं यूजीसी /भारत सरकार से मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों / संस्थानों से प्राप्त की गई होनी चाहिए ।

(vi) बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा परिणाम को 11 जनवरी, 2016 को अथवा उससे पूर्व घोषित किए जाने के संबंध में समुचित दस्तावेज साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किए जाने होंगे । पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण करने की तिथि वह तिथि होगी, जो विश्वविद्यालय/ संस्थान द्वारा जारी अंकतालिका

अथवा अनंतिम प्रमाणपत्र पर अंकित हो । उस स्थिति में जब किसी विशेष परीक्षा का परिणाम विश्वविद्यालय/ संस्थान द्वारा वेबसाइट पर लगाया गया हो तथा वेब आधारित प्रमाणपत्र जारी किया गया है, तो विश्वविद्यालय / संस्थान द्वारा के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी एवं हस्ताक्षरित समुचित दस्तावेज / प्रमाणपत्र **के मूल रूप को** सत्यापन एवं आगे की प्रक्रिया हेतु मान्य माना जाएगा, जिसमें उत्तीर्ण करने की तिथि उपयुक्त रूप से उल्लेख की गई हो । कृपया नोट करें कि साक्षात्कार के समय अनंतिम / अंतिम प्रमाणपत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा जो आवेदक ऐसा करने में असमर्थ होंगे उनकी अभ्यर्थिता रद्द हो जाएगी ।

5.1 चयन प्रक्रिया

पद के लिए चयन प्रक्रिया ऑनलाइन परीक्षा और तत्पश्चात् साक्षात्कार के माध्यम से होगी। जो अभ्यर्थी बैंक द्वारा निर्णीत न्यूनतम प्राप्तांक सीमा उत्तीर्ण करेंगे, उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा का संघटन निम्नवत रहेगा :

क्र	**परीक्षा का नाम**	**परीक्षा का प्रकार**	**प्रश्नों की संख्या**	**अधिकतम अंक**	**समय**
1	कंप्यूटर ज्ञान	वस्तुनिष्ठ	20	20	120 मिनट का कुल समय
2	अंग्रेजी भाषा	वस्तुनिष्ठ	40	40	
3	सामान्य जागरूकता (बैंकिंग उद्योग के विशेष संदर्भ में)	वस्तुनिष्ठ	40	40	
4	तार्किक अभिरुचि	वस्तुनिष्ठ	50	50	
5	मात्रात्मक अभिरुचि	वस्तुनिष्ठ	50	50	
	कुल		**200**	**200**	
	ऑनलाइन विवरणात्मक परीक्षा : अभ्यर्थियों को कंप्यूटर पर टंकण के माध्यम से उत्तर देने अपेक्षित होंगे ।				
6	अंग्रेजी भाषा एवं प्रारूपण योग्यता परीक्षा, जिसमें एक निबंध लेखन(35 अंक) तथा एक व्यवसाय पत्र लेखन (15 अंक) दिया जाएगा ।	विवरणात्मक	2	50	45 मिनट
	कुल		**202**	**250**	

अंग्रेजी भाषा एवं विवरणात्मक प्रश्नपत्र को छोड़कर, सभी प्रश्नपत्र अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध कराए जाएंगे। अंग्रेजी भाषा एवं विवरणात्मक प्रश्नपत्र केवल अंग्रेजी में होगा। सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहु विकल्पी रहेंगे। एक प्रश्न के पांच उत्तरों में से केवल एक सही उत्तर होगा। अभ्यर्थी को सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना होगा तथा उस विकल्प पर माउस से क्लिक करना होगा, जो सबसे उपयुक्त/ सही लगे। अभ्यर्थी जिस विकल्प का चयन करता है, वह उस प्रश्न के लिए उसका उत्तर माना जाएगा। **अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए शास्ति रहेगी। किसी अभ्यर्थी द्वारा दिए गए प्रत्येक गलत उत्तर हेतु, दंड के रूप में उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों के ¼ अंक काट लिए जाएंगे।** ऑनलाइन परीक्षा के अंकन निम्नांकित प्रकिया को अपनाते हु ए किया जाएगा ।

(i) प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में अभ्यर्थी ने जितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया होगा, उन्हें गलत उत्तरों के लिए दंड-अंक लगाने के बाद संशोधित अंकों की गणना के उद्देश्य से हिसाब में लिया जाएगा।

(ii) विभिन्न सत्रों में आयोजित प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में कठिनाई के स्तर में मामूली अंतर (यदि कोई हो) को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी द्वारा इस प्रकार प्राप्त किए गए संशोधित अंकों को समरूप बनाया जाता है और ईक्वेटेड स्कोर का आकलन किया जाता है।

(* किसी परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को मूल रूप में इक्वेट किया जाता है, जिसके लिए सभी रूपों के अंकों के वितरण को ध्यान में रखा जाता है।)

(iii) परीक्षा-वार अंक और कुल प्राप्तांक को दो दशमलव बिन्दुओं तक रिपोर्ट किया जाता है।

टिप्पणीः कट-ऑफ दो चरणों में लागू किए जा सकते हैः

(i) प्रत्येक परीक्षा के अलग-अलग प्राप्तांकों पर

(ii) कुल प्राप्तांकों पर

परीक्षा में कुल पूर्णांक 250 होंगे, जिसमें अंग्रेजी के विवरणात्मक खंड के 50 अंक शामिल होंगे। **अभ्यर्थियों को वस्तुनिष्ठ एवं विवरणात्मक खंड, दोनों मिलाकर कुल 250 पूर्णांकों में से प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर साक्षात्कार के लिए छाँटा जाएगा। विवरणात्मक परीक्षा का मूल्यांकन केवल उन अभ्यर्थियों के लिए किया जाएगा जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा में अर्ह (कुल एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रत्येक खंड पर) होंगे और जिन्होंने अपनी वस्तुनिष्ठ परीक्षा में पर्याप्त रूप से अधिक कुल प्राप्तांक पाए होंगे। विवरणात्मक परीक्षा में केवल उतनी संख्या में उत्तरों का मूल्यांकन किया जाएगा जो रिक्तियों के आधार पर निर्धारित की जाएँगी।** वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रत्येक खंड, कुल वस्तुनिष्ठ परीक्षा और विवरणात्मक पर्चे के अर्हताकारी कट-ऑफ अंकों का निर्णय बैंक करेगा। ऑनलाइन विवरणात्मक परीक्षा के प्रश्न आपकी कंप्यूटर-स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे। उत्तर देने के लिए कुंजी-पटल का इस्तेमाल करके टाइप करना होगा। विवरणात्मक पर्चे में प्रश्नों का उत्तर टाइप करना आरंभ करने के पूर्व कृपया जाँच लें कि कुंजीपटल की सभी कुंजियाँ ठीक से चल रही हैं या नहीं।

सिडबी को परीक्षा के स्वरूप में परिवर्तन करने का अधिकार है। इसकी सूचना वेबसाइट के ज़रिए दी जाएगी। परीक्षा के विषय में अन्य विस्तृत सूचना एक सूचनापत्रक में दी जाएगी, जो बुलावा-पत्र के साथ **www.sidbi.in** पर उपलब्ध होगा और जिसे अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकते हैं।

5.2.1 भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए बैंक 8 दिन की अवधि का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा। तदनुसार, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े वर्गों के उन इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा, जो बैंक के पात्रता मानदंडों के अनुरूप पात्र पाए जाएँगे। भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण 14 केंद्रों- अहमदाबाद, बेंगलूरु, चण्डीगढ़, चेन्नै, कोयंबत्तूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कोलकाता/ ग्रेटर कोलकाता/ हावड़ा, लखनऊ, ग्रेटर मुम्बई/ठाणे/नवी मुम्बई, नई दिल्ली-एनसीआर तथा पुणे में आयोजित किया जाएगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित जो अभ्यर्थी भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण का लाभ उठाना चाहते हों, वे सिडबी की वेबसाइट पर उपलब्ध उपयुक्त स्थल(लिंक) पर अपना पंजीकरण करें। कृपया ध्यान दें कि भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण में हिस्सा लेने के लिए ठहरने, खाने और यात्रा संबंधी व्यय अभ्यर्थी को वहन करने होंगे। तथापि, किसी केंद्र-विशेष के लिए प्राप्त प्रत्युत्तरों / आवेदनपत्रों की संख्या के आधार पर बैंक भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण का स्थल बदलने /निरस्त करने /अतिरिक्त स्थल जोड़ने का अधिकार रखता है। कृपया नोट करें कि भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण में भाग ले लेने मात्र से किसी अभ्यर्थी को सिडबी में चयन का अधिकार नहीं मिल जाता।

5.2.2 ऑनलाइन परीक्षा

ऑनलाइन परीक्षा पूरे भारत में अनेक केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। जिन संभावित नगरों में परीक्षा आयोजित की जाएगी, वे हैं - अहमदाबाद / गाँधीनगर, बड़ौदा/आणंद/वल्लभ विद्यानगर, राजकोट, सूरत, बेंगलूरू / तुमकुर, मैसूर, हुबली, होसुर, इंदौर, भोपाल, रायपुर, नागपुर, नैनीताल, कोलकाता,

भुवनेश्वर, पटना, जमशेदपुर, चंडीगढ़, जालंधर, जम्मू, लुधियाना, चेन्नै, पुडुच्चेरि, कोयंबत्तूर, कोच्चि/एर्णाकुलम , तिरुप्पुर, त्रिचि, मदुरै, नई दिल्ली/दिल्ली एनसीआर, देहरादून, नोएडा/ ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गाँव, गुवाहाटी, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखपट्टणम, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, आगरा, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, कोल्हापुर, ग्रेटर मुम्बई/ठाणे/नवी मुम्बई, वेरना।

1. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदनपत्र में ऑनलाइन परीक्षा के लिए अपना पसंदीदा केंद्र इंगित करना होगा।
2. ऑनलाइन परीक्षा बुलावा-पत्र में दिए गए केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी।
3. परीक्षा के केंद्र /स्थान /दिनांक/ सत्र में परिवर्तन के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. प्रत्युत्तरों, प्रशासनिक व्यवहार्यता, आदि के आधार पर बैंक अपने विवेक से किसी भी परीक्षा केंद्र को निरस्त करने और / या नए केंद्र जोड़ने का अधिकार रखता है।
5. सिडबी को किसी अभ्यर्थी को उसके पसंदीदा केंद्र के स्थान पर कोई अन्य केंद्र आवंटित करने का भी अधिकार है।
6. अभ्यर्थी परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र पर अपने जोखिमों और खर्चे पर आएगा और सिडबी किसी प्रकार की चोट या हानियों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
7. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र का चयन एक बार किया जा सकता है, जो अंतिम होगा।

साक्षात्कार पाँच केंद्रों, अर्थात् चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और नई दिल्ली में आयोजित किए जाएँगे। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदनपत्र में साक्षात्कार के लिए अपना पसंदीदा केंद्र अलग से इंगित करना होगा। तथापि, प्रतिक्रिया, प्रशासनिक व्यवहार्यता, आदि के आधार पर बैंक अपने विवेक से परीक्षा /साक्षात्कार के लिए किसी केंद्र को निरस्त करने और / या नए केंद्र जोड़ने का अधिकार रखता है। बैंक को किसी अभ्यर्थी को उसके पसंदीदा केंद्र के स्थान पर कोई अन्य केंद्र आवंटित करने का भी अधिकार है।

5.2.3 लिपिकार के लिए दिशा-निर्देशः विकलांग अभ्यर्थी नीचे दी गई शर्तों के अनुसार ऑनलाइन परीक्षा के लिए लिपिकार की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ये शर्तें इस विषय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

(i) दृष्टि बाधित अभ्यर्थी और जिन अभ्यर्थियों की लेखन गति किसी कारण प्रतिकूल रूप से पूरी तरह प्रभावित है, वे ऑनलाइन परीक्षा के दौरान **अपने खर्चे पर लिपिकार का उपयोग,** निम्नलिखित (ii) एवं (iii) की सीमाओं के अधीन, कर सकते हैं, ऐसे सभी मामलों में, जिनमें लिपिकार का उपयोग किया जाएगा, निम्नलिखित नियम लागू होंगेः-

- अभ्यर्थी को अपने खर्चे पर अपने लिपिकार की व्यवस्था करनी होगी।
- अभ्यर्थी ने जिस लिपिकार की व्यवस्था की हो, वह उसी परीक्षा का कोई अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए। यदि भर्ती प्रक्रिया के किसी चरण के दौरान इसके उल्लंघन का पता चलता है तो अभ्यर्थी और लिपिकार, दोनों की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। जो पात्र अभ्यर्थी परीक्षा में लिपिकार की सेवाओं का उपयोग करना चाहता है, उसे ऑनलाइन आवेदन फार्म भरते समय निरपवाद रूप से ध्यानपूर्वक इसका उल्लेख करना चाहिए। बाद में किए गए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

- किसी एक अभ्यर्थी के लिए लिपिकार का काम करनेवाला व्यक्ति किसी अन्य अभ्यर्थी का लिपिकार नहीं हो सकता।
- लिपिकार किसी भी अकादमिक धारा का व्यक्ति हो सकता है।
- अभ्यर्थी और लिपिकार, दोनों को इस आशय का एक उपयुक्त वचनपत्र देना होगा कि लिपिकार ऊपर लिपिकार के लिए उल्लिखित पात्रता संबंधी सभी विनिर्धारित मानदंडों को पूरा करता है। साथ ही, यदि बाद में यह पता चलता है कि उसने किसी विनिर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता है या उसने कोई महत्त्वपूर्ण तथ्य छिपाया है, तो आवेदक की पात्रता निरस्त हो जाएगी, चाहे उसकी ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम जो भी हो।
- जो प्रत्याशी किसी लिपिकार की सेवाओं का उपयोग करेंगे, वे परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट, अथवा जो अन्यथा सूचित किया जाए, के अतिरिक्त प्रतिपूरक समय हेतु पात्र होंगे।
  - समय में इस प्रकार की छूट के लिए केवल उन्हीं प्रत्याशियों को अनुमति दी जाएगी, जिन्होंने इसके लिए पहले से अपना पंजीकरण/रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, क्योंकि प्रत्याशियों को दिया जाने वाली समय में छूट सिस्टम पर आधारित होगी, इस कारण, ऐसे प्रत्याशी, जिन्होंने इसके लिए पहले से पंजीकरण/रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया होगा, उन प्रत्याशियों को समय में छूट की अनुमति प्रदान करना, परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी के लिए संभव नहीं होगा। जो प्रत्याशी इस प्रतिपूरक समय के लिए पहले से पंजीकृत/रजिस्टर्ड नहीं होंगे, उन्हें इस प्रकार की छूट की अनुमति नहीं होगी।

(ii) गतिक अक्षमता (लोकोमोटर डिसैबिलिटी) तथा मस्तिष्क पक्षाघात (सेरेब्रल पैलसी) वाले प्रत्याशियों हेतु दिशानिर्देश : उन गतिक अक्षमता (लोकोमोटर डिसैबिलिटी) तथा मस्तिष्क पक्षाघात (सेरेब्रल पैलसी) वाले प्रत्याशियों को प्रतिघंटा 20 मिनट अथवा अन्यथा सूचित किए गए अनुसार प्रतिपूरक समयावधि की अनुमति होगी, जहाँ प्रमुखकार्य (लेखन) इतनी अधिक सीमा तक प्रभावी होता हो कि प्रकार्य-निष्पादन (न्यूनतम 40%हानि) तक धीमा हो जाता हो।

(iii) दृष्टि-बाधित प्रत्याशियों हेतु दिशानिर्देश :

- दृष्टि-बाधित प्रत्याशी (जिनकी अक्षमता 40% से कम न हो) वे परीक्षण की सामग्रियों को आवर्धित फॉण्ट में देखने का विकल्प ले सकते हैं तथा ऐसे सभी प्रत्याशी, परीक्षा के प्रति घंटा 20 मिनट, अथवा अन्यथा सूचित प्रतिपूरक समयावधि हेतु पात्र होंगे।
- वैसे दृष्टि-बाधित प्रत्याशी जो किसी लिपिकार की सेवाओं का उपयोग करेंगे, वे परीक्षण की सामग्रियों को आवर्धित फॉण्ट में देखने की सुविधा हेतु पात्र नहीं होंगे।

ये दिशानिर्देश, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों/स्पष्टीकरणों (यदि कोई हों), के अनुसार परिवर्तित किए जा सकेंगे।

5.2.4 सूचीबद्ध पात्र अभ्यर्थियों को <u>भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण /ऑनलाइन परीक्षा /</u>साक्षात्कार के समय, तिथि और स्थल के पते की सूचना बुलावा-पत्र के माध्यम से दी जाएगी। **बुलावा-पत्रों के ऑनलाइन डाउनलोड की सूचना के लिए अभ्यर्थियों को ई-मेल संदेश और एसएमएस उपयुक्त समय पर भेजे जाएँगे।** अभ्यर्थियों

को अपने साक्षात्कार के बुलावा पत्र सिडबी की वेबसाइट www.sidbi.in से डाउनलोड करने होंगे । अभ्यर्थियों को अलग से कोई अन्य पत्राचार अर्थात् डाक से या अन्यथा नहीं भेजा जाएगा। यदि कोई अन्य अनुदेश होंगे, तो उन्हें भी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। बुलावा-पत्र के बिना अभ्यर्थियों को भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण /ऑनलाइन परीक्षा /साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। **अत: अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन परीक्षा की तिथि के संबंध में नियमित अंतराल पर बैंक की वेबसाइट देखें।**

5.2.5 ऑनलाइन परीक्षा में सूचीबद्ध किए गए अभ्यर्थियों को उसके बाद साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा । साक्षात्कार चेन्नै, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई एवं नई दिल्ली में संचालित किए जाएंगे । सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के केंद्र, स्थान के पते, समय एवं तिथि की सूचना बुलावा पत्र में दी जाएगी।

अभ्यर्थियों को अपने साक्षात्कार के बुलावा पत्र सिडबी की वेबसाइट www.sidbi.in से डाउनलोड करने होंगे । कृपया नोट करें कि साक्षात्कार की तिथि, केंद्र आदि में परिवर्तन के संबंध में किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा । तथापि, सिडबी के पास किन्हीं अप्रत्याशित परिस्थितियों में, को स्वविवेकानुसार, साक्षात्कार की तिथि / स्थान / समय /केंद्र आदि में बदलाव करने या किसी विशेष तिथि / सत्र / स्थल / केंद्र / अभ्यर्थियों के समूह के लिए पूरक प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

5.2.6 साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने के समय, प्रत्याशियों को नीचे दिए अनुसार वैध निर्धारित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। इन दस्तावेज़ों के अभाव में प्रत्याशियों की उम्मीदवारी निरस्त हो जाएगी। अलग-से भेजे गए किसी भी प्रमाणपत्र/विप्रेषण/दस्तावेज़ की प्राप्ति/संपर्क के लिए सिडबी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़ों की सूची (जो लागू है)

साक्षात्कार के समय, प्रत्याशी द्वारा अपनी पात्रता तथा पहचान के साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज़ों की मूल तथा सत्यापित छायाप्रतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी, ऐसा न करने पर, प्रत्याशी को साक्षात्कार में शामिल होने के लिए अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। प्रत्याशी द्वारा साक्षात्कार के समय, वांछित दस्तावेज़ प्रस्तुत न किए जाने पर, भर्ती-प्रकिया में आगे शामिल होने की उसकी उम्मीदवारी बाधित हो जाएगी।

(i) वैध साक्षात्कार आमंत्रण-पत्र की मुद्रित प्रति।

(ii) ऑनलाइन आवेदनपत्र की सिस्टम से ली गई वैध मुद्रित प्रति।

(iii) जन्म-दिनांक का प्रमाण (सक्षम म्युनिसिपल प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म-प्रमाणपत्र अथवा एसएसएलसी/कक्षा-10 का प्रमाणपत्र, जिसमें जन्मदिनांक दर्ज हो)

(iv) मद सं.5.2.8 में दर्शाए अनुसार फोटो-पहचान प्रमाण।

(v) मद सं.5.2.8 में दर्शाए अनुसार स्थाई पते का प्रमाण।

(vi) स्नातक अथवा समतुल्य योग्यता आदि की अंक-सूचियाँ तथा प्रमाणपत्र। दिनांक 11.01.2016 को अथवा उससे पहले बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा घोषित किए गए परीक्षा-परिणामों के समुचित दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने हैं।

(vii) अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के प्रत्याशियों के मामले में, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए विहित फॉर्मेट में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति-प्रमाणपत्र।

(viii) अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों के मामले में, प्रमाणपत्र में यह विशिष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए कि प्रत्याशी, क्रीमी-लेयर वर्ग में नहीं आता है जो भारत सरकार के अधीन सिविल पदों व सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्गों को दिए जाने वाले आरक्षण लाभों में शामिल नहीं है। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर, गैर-क्रीमी-लेयर खंड सहित अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाणपत्र, साक्षात्कार की दिनांक को वैध होना चाहिए।(साक्षात्कार में बुलाए जाने पर, साक्षात्कार की दिनांक से एक वर्ष पहले की अवधि में जारी किया गया जाति प्रमाणपत्र वैध होगा।) प्रमाणपत्र में दर्शाया गया जाति-नाम का, केन्द्र सरकार की सूची/अधिसूचना में दिए गए जाति-नाम के साथ, शब्दश: मिलान होना चाहिए। ऐसे प्रत्याशी, जो अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के हैं, परंतु क्रीमी-लेयर में आते हैं तथा/अथवा यदि उनकी जाति केन्द्र सरकार की सूची में शामिल नहीं है, तो वे अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण के हकदार नहीं हैं। उन्हें ऑनलाइन आवेदनपत्र में अपनी श्रेणी सामान्य वर्ग के रूप में दर्शानी चाहिए।

(ix) विकलांग श्रेणी के व्यक्तियों के मामले में जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्धारित प्ररूप में जारी किया गया विकलांगता प्रमाणपत्र। यदि प्रत्याशी द्वारा ऑनलाइन परीक्षा के दौरान लिपिकार का उपयोग किया जा रहा है तो निर्धारित प्ररूप में लिपिकार का विवरण विधिवत् रूप से भर कर प्रस्तुत किया जाए।

(x) भूतपूर्व सैनिकों को साक्षात्कार के समय, पेंशन भुगतान आदेश तथा अंतिम/वर्तमान (मूल तथा कार्यकारी सहित) रैंक के दस्तावेज़ी प्रमाण सेवा अथवा डिस्चार्ज बुक के साथ-साथ सेवा या डिस्चार्ज बुक की प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी। जो अभी रक्षा सेवाओं में सेवारत हैं, उन्हें अपने सक्षम अधिकारी से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्हें 10.01.2017 को या उससे पूर्व रक्षा-सेवाओं से कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

(xi) सरकारी/अर्ध-सरकारी कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (रा यकृत बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं सहित) में कार्यरत प्रत्याशियों को, साक्षात्कार के समय, उनके नियोक्ता द्वारा जारी "अनापत्ति-प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, इसके अभाव में, उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा। सिडबी में चयन के लिए साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए यह अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया जाना चाहिए। साक्षात्कार के समय, प्रस्तुत किए गए सशर्त अनापत्ति-प्रमाणपत्र पर विचार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे प्रत्याशियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी / आगे की चयन प्रक्रिया पर भी विचार नहीं किया जाएगा।

(xii) जो व्यक्ति 4.3.ii. ख के अंतर्गत आयु में छूट के पात्र हों, वे साक्षात्कार के समय / अनुवर्ती प्रक्रिया के किसी चरण में अधिवास प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें, जो ऐसे जिला क्षेत्राधिकार द्वारा जारी किया गया हो, जहां वह सामान्यतः रहता / रहती हो अथवा वह इस संबंध में जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा नामित किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, और जिसमें इस आशय का उल्लेख हो कि अभ्यर्थी ने 01.01.1980 से 31.12.1989 की अवधि के दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य में सामान्यतः अधिवास किया था।

(xiii) जो व्यक्ति 4.3.ii. ग के अंतर्गत आयु में छूट के पात्र हों, वे जिला मजिस्ट्रेट से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें कि वे 1984 के दंगा पीड़ितों के लिए सरकार द्वारा मंजूर तथा

वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग के 27.07.2007 के पत्राचार एफ सं. 9/21/2006-आईआर के जरिए सूचित राहत पैकेज के अनुसार छूट के लिए पात्र हैं।

(xiv) अनुभव प्रमाणपत्र, यदि कोई हो।

(xv) बिंदु सं 4.1 की श्रेणी (ii), (iii), (iv) और (v) के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति भारत सरकार द्वारा जारी पात्रता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।

(xvi) पात्रता के समर्थन में अन्य को प्रासंगिक दस्तावेज

टिप्पणी : - अभ्यर्थी यदि ऊपर उल्लिखित प्रासंगिक पात्रता दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अशक्त व्यक्तियों को आने जाने के किराए की प्रतिपूर्ति भी नहीं की जाएगी।
साक्षात्कार से पहले या बाद में अभ्यर्थी द्वारा कोई भी दस्तावेज सिडबी / आईबीपीएस को सीधे नहीं भेजे जाने चाहिए।
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अशक्त व्यक्ति का प्रमाणपत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित हैं (भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित)

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्गों के लिए : अभ्यर्थी और उसका परिवार सामान्यतः जिस इलाके में रहते हैं वहाँ के (i)जिला मजिस्ट्रेट / अपर जिला मजिस्ट्रेट / कलैक्टर / उपायुक्त / अपर उपायुक्त / उप कलैक्टर / प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट / सिटी मजिस्ट्रेट / उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट के स्तर से नीचे का नही) / तालुक मजिस्ट्रेट / कार्यपालक मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक कमिश्नर (ii) मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट / अपर मुख्य प्रेसीडेनन्सी मजिस्ट्रेट / प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट (iii) तहसीलदार से अन्यून स्तर का राजस्व अधिकारी (iv) उप प्रभागीय अधिकारी

अशक्त व्यक्तियों के लिए : प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी जिला स्तर का मेडिकल बोर्ड होगा, जिसमें जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप-प्रभागीय चिकित्सा अधिकारी और एक ऑर्थोपैडिक / ऑप्थैल्मिक / ईएनटी सर्जन शामिल होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अशक्त जनों के साक्षात्कार आदि के समय प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्रों के विनिर्दिष्ट प्ररूप सिडबी की वेबसाइट www.sidbi.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। इन श्रेणियों के अभ्यर्थी को इन्ही प्ररूपों में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

5.2.7 **पहचान का प्रमाण : परीक्षा के समय (21, पृ. 23 के साथ पढ़ा जाए)** वर्तमान में वैध फोटो पहचान पत्र ये हो सकते हैं: पैन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेन्स/मतदाता पहचान पत्र/ फोटोयुक्त बैंक पास बुक / राजपत्रित अधिकारी द्वारा कार्यालयीन पत्रशीर्ष पर जारी फोटो पहचान पत्र / जन प्रतिनिधि द्वारा कार्यालयीन पत्रशीर्ष पर जारी फोटो पहचान पत्र / किसी मान्यताप्राप्त कॉलेज/ विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में जारी फोटोयुक्त वैध पहचान पत्र /कर्मचारी पहचान पत्र/ बार काउंसिल का फोटोयुक्त पहचान पत्र। कृपया नोट करें - राशन कार्ड तथा ई-आधार कार्ड इस परियोजना के लिए वैध पहचान पत्र नहीं माने जाएंगे।

स्थायी पते का प्रमाण : केवल साक्षात्कार के समय अपेक्षित (i) टेलीफोन बिल (ii) बैंक खाता विवरणी (iii) किसी मान्यताप्राप्त सार्वजनिक प्राधिकारी का पत्र (iv) बिजली का बिल (v) राशन कार्ड (vi) नियोक्ता का पत्र (बशर्ते बैंक उससे संतुष्ट हो) (vii) राज्य सरकार या वैसे ही किसी पंजीकरण

प्राधिकारी के यहां पंजीकृत किराया करार जिसमें अभ्यर्थी का पता उल्लिखित हो (कोई भी एक दस्तावेज जिसमें दी गई जानकारी से बैंक संतुष्ट हो पर्याप्त होगा)। यदि पहचान के प्रमाण में स्थायी पता भी दिया हो, तो स्थायी पते का अलग से प्रमाण अपेक्षित नहीं है।

6. गैर वापसी वाला आवेदन एवं कार्रवाई शुल्क

अभ्यर्थी की श्रेणी	आवेदन शुल्क	सूचना प्रभार	कुल प्रभार
अनु.जाति/अनु.जनजाति/ पीडब्ल्यूडी	शून्य	` 50/- (रुपये पचास मात्र)	` 50/- (रुपये पचास मात्र)
अन्य (अ.पि.व. एवं सामान्य सहित	`450/- (रुपये चार सौ एवं पचास मात्र	` 50/- (रुपये पचास मात्र)	`500/- (रुपये पाँच सौ मात्र)
स्टाफ अभ्यर्थी	शून्य	शून्य	शून्य

7. आवेदन कैसे करें

अभ्यर्थी केवल सिडबी के वेबसाइट पर ऑन-लाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के किसी और तरीके को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व, अभ्यर्थी -

(i) अपना छायाचित्र (फोटोग्राफ) और हस्ताक्षर स्कैन करें और यह सुनिश्चित करें कि वे छायाचित्र (फोटोग्राफ) और हस्ताक्षर स्कैनिंग और अपलोड करने के बारे नीचे दिए गए दिशानिर्देशों में दी गई विशिष्टताओं के अनुरूप हों।

(ii) अपेक्षित आवेदन शुल्क /सूचना प्रभारों के **ऑनलाइन भुगतान** के लिए आवश्यक विवरण / दस्तावेज़ तैयार रखें।

(iii) अपना वैध व्यक्तिगत ई-मेल पता रखें, जिसे कम से कम ऑनलाइन परीक्षा के परिणाम घोषित किए जाने तक सक्रिय रखा जाना चाहिए। सिडबी भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण /ऑनलाइन परीक्षा /साक्षात्कार के लिए बुलावा-पत्रों को ऑनलाइन डाउनलोड करने हेतु सूचना इस ई-मेल पते पर ही भेजेगा। किसी भी परिस्थिति में, कोई अभ्यर्थी किसी अन्य व्यक्ति को /का ई-मेल पता साझा/इंगित नहीं करेगा। यदि किसी अभ्यर्थी के पास ई-मेल पता नहीं हैं, तो उसे ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अपना नया ई-मेल पता सृजित करना चाहिए और उस ईमेल खाते को बनाए रखना चाहिए।

क) <u>ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया</u>

(1) अभ्यर्थी सिडबी की वेबसाइट www.sidbi.in पर जाएं और 'ऑनलाइन आवेदन' विकल्प पर क्लिक करें, जिससे नई स्क्रीन खुलेगी।

(2) आवेदन को पंजीकृत करने के लिए "नए पंजीकरण हेतु यहाँ क्लिक करें" टैब को चुनें और नाम, पता विवरण एवं ईमेल-पता भरें। प्रणाली (सिस्टम) से अस्थायी पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड प्राप्त होगा, जो स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी अस्थायी पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड नोट कर लें। अस्थायी पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड ई-मेल और एसएमएस से भी भेजे जाएँगे।

(3) यदि अभ्यर्थी एक बार में अपना विवरण भरने में समर्थ न हो, तो वह 'सहेजें और आगे बढ़ें' टैब चुनकर तब तक प्रविष्ट किया जा चुका विवरण सहेज सकता है। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन के प्रस्तुतीकरण से पहले वे 'सहेजें और आगे बढ़ें' सुविधा का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन आवेदन में दिए गए ब्योरों का सत्यापन करें और यदि आवश्यकता हो तो उन्हें संशोधित

करें।

(4) अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे ध्यानपूर्वक भरें और ऑनलाइन आवेदन में भरे गए विवरणों की स्वयं जांच कर लें क्योंकि अंतिम 'प्रस्तुत' (सब्मिट) बटन क्लिक करने के पश्चात कोई भी परिवर्तन संभव नहीं होगा/स्वीकार नहीं किया जाएगा

(5) अभ्यर्थी के नाम या उसके पिता /पति के नाम की वर्तनी (स्पेलिंग) ठीक वैसी होनी चाहिए, जैसी कि प्रमाणपत्रों /अंकपत्रों/पहचान पत्र में दर्शाई गई हो। यदि इसमें कोई परिवर्तन /भिन्नता पाई जाएगी, तो उससे अभ्यर्थी अपात्र /अयोग्य हो जाएगा।

(6) अपने विवरणों को प्रामाणिक करें 'अपने विवरण प्रामाणिक करें' और ' रक्षित व आगे' बटन क्लिक करके अपना आवेदन रक्षित करें।

(7) बिन्दु "ग" के अंतर्गत दिए अनुसार फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर के स्केनिंग और अपलोड करने के दिशानिर्देशों में विनिर्देशों के अनुसार अभ्यर्थी फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के किए आगे बढ़ सकते हैं।

(8) अभ्यर्थी आवेदन पत्र में अन्य विवरण भरने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

(9) पूर्ववर्ती टैब पर क्लिक करें और अंतिम प्रस्तुत करने से पूर्व पूरे आवेदन पत्र का पूर्व दर्शन व जांच कर लें।

(10) यदि आवश्यक हो, तो परिवर्तन कर लें तथा 'अंतिम प्रस्तुत' बटन यह जांच करने व सुनिश्चित करने के बाद ही क्लिक करें कि फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर अपलोड हो गए हैं और आपके द्वारा भरे गए अन्य विवरण सही हैं।

(11) 'भुगतान' टैब पर क्लिक करें और भुगतान के लिए आगे बढ़ें।

(12) 'प्रस्तुत' बटन क्लिक करें।

<u>**ख) शुल्क का भुगतान**</u>

<u>**ऑनलाइन प्रणाली**</u>

(i) आवेदनपत्र भुगतान गेटवे के साथ जुड़ा हुआ (एकीकृत) है और अनुदेशों का पालन करते हुए भुगतान प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

(ii) भुगतान डेबिट कार्ड (रुपे/वीजा/मास्टर कार्ड/मेइस्ट्रो), क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आइएमपीएस, कैश कार्ड/ मोबाइल वैलेट के ज़रिए किया जा सकता है।

(iii) ऑनलाइन आवेदनपत्र में भुगतान संबंधी सूचनाएँ प्रस्तुत करने के बाद कृपया सर्वर से सूचना-संदेश आने तक प्रतीक्षा करें, कृपया 'बैक' या 'रिफ्रेश' बटन न दबाएँ, ताकि दोहरे भुगतान / प्रभार से बचा जा सके

(iv) संव्यवहार पूरा होने पर ई-रसीद प्रदर्शित होगी।

(v) 'ई-रसीद' प्रदर्शित न होने का अर्थ भुगतान असफल होना है। भुगतान असफल होने की स्थिति में, अभ्यर्थियों को अपने अस्थायी पंजीकरण और पासवार्ड का उपयोग करके पुनः लॉगइन करें और भुगतान की प्रक्रिया को दोहराएँ।

(vi) अभ्यर्थी **ई-रसीद का प्रिंट-आउट लें** और ऑनलाइन आवेदनपत्र प्रस्तुत करें। <u>**कृपया नोट करें कि यदि वह प्रदर्शित /प्राप्त नहीं होती है, तो ऑनलाइन संव्यवहार सफल नहीं हुआ होगा।**</u>

(1) एक से अधिक पंजीकरण हो जाने पर, केवल अंतिम पंजीकरण वैध रखा जाएगा।

टिप्पणी:
(i) ऑनलाइन आवेदनपत्र में भुगतान संबंधी सूचनाएँ प्रस्तुत करने के बाद कृपया सर्वर से

	सूचना-संदेश आने तक प्रतीक्षा करें, कृपया 'बैक' या 'रिफ्रेश' बटन न दबाएँ, ताकि दोहरे भुगतान / प्रभार से बचा जा सके।
(ii)	क्रेडिट कार्ड प्रयोक्ताओं के लिए : सभी मूल्य भारतीय रुपये में दिए गए हैं। यदि आप कोई गैर-भारतीय कार्ड उपयोग कर रहे हैं, तो आपका बैंक प्रचलित विनिमय दर से आपकी स्थानीय मुद्रा में रूपांतरण करेगा।
(iii)	आपके विवरण की सुरक्षा के लिए, अपना संव्यवहार समाप्त होने पर कृपया ब्राउज़र विन्डो बंद करें।

(2) शुल्क भुगतान सहित ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद अभ्यर्थी प्रणाली (सिस्टम) से प्राप्त ऑनलाइन आवेदनपत्र का प्रिंट-आउट लेना चाहिए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसमें भरे गए विवरण सही हैं और उसे पंजीकरण संख्या तथा पासवर्ड के साथ भावी संदर्भ के लिए अपने पास रखना चाहिए। अभ्यर्थी वह प्रिंट-आउट सिडबी को न भेजें।

(3) सही-सही ऑनलाइन आवेदनपत्र भरने के लिए पूर्णतः अभ्यर्थी ही जिम्मेदार होंगे। यदि आवेदनपत्र भरने में अभ्यर्थी कोई त्रुटि करते हैं और उसके कारण आवेदनपत्र अवैध हो जाता है तो उसके साथ लिए गए आवेदन शुल्क की वापसी के किसी दावे पर बैंक विचार नहीं करेगा।

(4) दृष्टिबाधित अभ्यर्थी सावधानीपूर्वक आवेदनपत्र भरें और अंतिम रूप से जमा करने से पूर्व यह पता करने के लिए कि विवरण सही-सही भरे गए हैं अथवा नहीं इसका सत्पापन कर लें या उस विवरण को किसी से सत्यापित करवा लें।

<u>अंतिम समय की आपाधापी से बचने के लिए अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क का भुगतान एवं ऑनलाइन पंजीकरण यथाशीघ्र कराने की सलाह दी जाती है।</u>

टिप्पणी- शुल्क का भुगतान करने के बाद शुल्क विवरण सहित प्रस्तुत आवेदनपत्र का पुनर्मुद्रण करने का प्रावधान भी उपलब्ध है।

कृपया ध्यान दें कि अभ्यर्थी का नाम श्रेणी जन्मतिथि पता मोबाइल संख्या ई-मेल पता परीक्षा केंद्र आदि सहित ऑनलाइन आवेदन में अंकित सभी विवरण अंतिम माना जाएगा और ऑनलाइन आवेदनपत्र प्रस्तुत करने के बाद किसी परिवर्तन /आशोधन की अनुमति नहीं होगी। अतः अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे अत्यंत सावधानी के साथ ऑनलाइन आवेदनपत्र भरें क्योंकि विवरण में किसी परिवर्तन से संबंधित पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदनपत्र में कोई गलत या अपूर्ण सूचना दिए जाने या आवेदनपत्र में अपेक्षित सूचना दिए जाने में चूक के फलस्वरूप उत्पन्न किसी परिणाम के लिए सिडबी उत्तरदायी नहीं होगा।

(5) यदि ऑनलाइन आवेदनपत्र किसी रूप में अपूर्ण होगा जैसे ऑनलाइन आवेदनपत्र के साथ छायाचित्र (फोटोग्राफ) या हस्ताक्षर अपलोड किए बिना या शुल्क का असफल भुगतान, तो उसे वैध नहीं माना जाएगा।

(6) अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से काफी पहले ऑनलाइन आवेदन कर दें और शुल्क भुगतान के लिए अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें ताकि इंटरनेट पर अत्यधिक बोझ /वेबसाइट अवरुद्धता के कारण सिडबी की वेबसाइट में प्रवेश करने में वियोजन (डिस्कनेक्शन) /असमर्थता/असफलता से बचा जा सके।

(7) यदि अभ्यर्थी उपर्युक्त कारणों से या बैंक के नियंत्रण से परे किन्हीं अन्य कारणों से अंतिम तिथि तक अपने आवेदनपत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो उसके लिए सिडबी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है।

(8) कृपया नोट करें कि उपर्युक्त प्रक्रिया ही आवेदन करने की एकमात्र वैध प्रक्रिया है। किसी अन्य विधि से आवेदन या अपूर्ण चरण स्वीकार नहीं किए जाएँगे और ऐसे आवेदनपत्र निरस्त कर दिए जाएँगे।

(9) अभ्यर्थी ने जो सूचनाएँ अपने आवेदनपत्र में दी होंगी वे अभ्यर्थी पर व्यक्तिगत रूप से बाध्यकारी होंगी

और यदि बाद में किसी चरण में यह पता चलता है कि उसने जो विवरण /सूचनाएँ दी हैं वे गलत हैं तो वह अभियोजन /सिविल परिणामों के लिए जिम्मेदार होगा/होगी।

(10) पते में परिवर्तन या ऑनलाइन आवेदनपत्र में अंकित किसी अन्य विवरण में परिवर्तन के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी स्थानों पर अर्थात् उसके बुलावापत्र उपस्थिति-पत्रक और सिडबी के साथ सभी पत्राचार में उसके हस्ताक्षर एकसमान हों और उनमें किसी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए।

(11) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदनपत्र के साथ हाल ही का पासपोर्ट आकार का पहचाना जाने योग्य छायाचित्र (फोटोग्राफ) अपलोड करें और वे यह सुनिश्चित करें कि उसी छायाचित्र की पर्याप्त प्रतियाँ प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में उपयोग के लिए सुरक्षित रखी जाएँ। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि जब तक भर्ती की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक वे अपने रूप-रंग में परिवर्तन न करें। प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में उसी छायाचित्र की प्रतियाँ प्रस्तुत न किए जाने पर यदि किसी चरण में पहचान के संबंध में कोई संदेह होता है तो उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है।

8. छायाचित्र (फोटोग्राफ) एवं हस्ताक्षर स्कैन करने और अपलोड करने के बारे में दिशानिर्देश

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को अपने छायाचित्र (फोटोग्राफ) एवं हस्ताक्षर की स्कैन्ड (डिज़िटल) छवि बनानी होगी। यह छवि नीचे दी गई विशिष्टताओं के अनुरूप होनी चाहिए।

छायाचित्र (फोटोग्राफ) की छवि

- छायाचित्र/तस्वीर अनिवार्य रूप से हाल का पासपोर्ट आकार का रंगीन चित्र होना चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि चित्र रंगीन हो और उसे हल्के प्रकाश वरीयत: सफेद प्रकाश वाली पृष्ठभूमि में खींचा गया हो।
- दृष्टि सीधे कैमरे पर होनी चाहिए और चेहरा तनाव-मुक्त होना चाहिए।
- यदि चित्र किसी धूपदार/चमकदार दिन में लिया गया हो तो सूर्य आपके पीछे की ओर होना चाहिए या आप अपने आपको किसी छाया में रखें ताकि आँखें अधमिची न हों और चित्र में कोई कठोर प्रतिच्छाया न हो।
- यदि आपको फ़्लैश का उपयोग करना हो तो यह सुनिश्चित करें कि आँखों पर लाल रंग न आए।
- यदि आप नज़र का चश्मा पहनते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि किसी प्रकार का परावर्तन न हो और आपकी आँखें स्पष्ट दिखाई दें।
- टोपी हैट और गहरे रंग के चश्मे स्वीकर्य नहीं हैं। धार्मिक पगड़ी की अनुमति है किंतु उससे आपका चेहरा ढँकना नहीं चाहिए।
- तस्वीर का आयाम 200x230 पिक्सेल हो (वरीयत:)।
- फ़ाइल का आकार 20केबी-50केबी के बीच होना चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि स्कैन्ड छवि का आकार 50 केबी से अधिक न हो। यदि फ़ाइल का आकार 50 केबी से अधिक हो तो स्कैनिंग करते समय सेटिंग जैसे डीपीआई रिज़ोलूशन रंगों की संख्या आदि में समायोजन करें।

क. हस्ताक्षर की छवि

- आवेदक को **सफेद काग़ज़ पर काली स्याही वाले पेन** से हस्ताक्षर करने हैं।
- हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से केवल आवेदक द्वारा किए जाने हैं किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं।
- हस्ताक्षर का उपयोग उपस्थिति-पत्रक पर एवं अन्य जहाँ-कहीं आवश्यक होगा वहां डालने में किया जाएगा।

- बुलावा-पत्र एवं परीक्षा के समय उपस्थिति पत्रक पर किए गए आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड किए गए हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए। यदि इसमें कोई अंतर पाया जाता है तो आवेदक अयोग्य हो जाएगा।
- तस्वीर का आयाम 140x60 पिक्सेल हो (वरीयत:)।
- फ़ाइल का आकार 10केबी-20केबी के बीच होना चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि स्कैन्ड छवि का आकार 20 केबी से अधिक न हो।

ख. छायाचित्र एवं हस्ताक्षर की स्कैनिंग

- स्कैनर का रिज़ोलूशन न्यूनतम 200 डीपीआई (बिंदु प्रति इंच) पर सेट करें।
- रंग**(Color)** को सही रंग**(True Color)** पर सेट करें।
- फ़ाइल का आकार वह हो जो ऊपर निर्दिष्ट किया गया है।
- स्कैनर में छायाचित्र /हस्ताक्षर की छवि उसके बिल्कुल किनारे से उत्पन्न करें और तत्पश्चात् छवि को अपेक्षित आकार (जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट है) में लाने के लिए अपलोड एडिटर का उपयोग करें।
- इमेज़ फ़ाइल जेपीजी**(.jpg)** या जेपीईजी**(.jpeg)** फॉर्मेट में होनी चाहिए। फ़ाइल के नाम का एक उदाहरण है - **image01.jpg** या **image01.jpeg ।** छवि के आयाम फ़ोल्डर फ़ाइलों को सूचीबद्ध कर या फ़ाइल के इमेज आयकॉन पर माउस ले जाकर किया जा सकता है।
- एमएस विन्डो /एमएस ऑफिस का उपयोग करने वाले अभ्यर्थी एमएस पेन्ट या एमएस ऑफिस पिक्चर मैनेजर का उपयोग कर सरलता से **.jpeg** फ़ॉर्मेट में क्रमश: 50 केबी और 20 केबी से अनधिक आकार के छायाचित्र एवं हस्ताक्षर प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी फ़ॉर्मेट में स्कैन्ड छायाचित्र एवं हस्ताक्षर फ़ाइल मेन्यू में 'सेव एज' विकल्प का उपयोग कर .**jpg** फ़ॉर्मेट में रक्षित किए जा सकते हैं और क्रॉप का और उसके बाद इमेज मेन्यू में रिसाइज़ विकल्प (कृपया पिक्सेल आकार के लिए इस संलग्नक में ऊपर पूर्ववर्ती अनुच्छेद देखें) का उपयोग कर फ़ाइल का आकार 50 केबी (छायाचित्र) तथा 20 केबी (हस्ताक्षर) से कम किया जा सकता है। इसी प्रकार के विकल्प अन्य फोटो एडिटरों में भी उपलब्ध हैं।
- यदि फ़ाइल का आकार और फ़ॉर्मेट अपेक्षा के अनुरूप नहीं होगा तो स्क्रीन पर त्रुटि संदेश प्रदर्शित होगा।
- ऑनलाइन आवेदनपत्र प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी को अपने छायाचित्र एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए एक लिंक उपलब्ध होगा।

ग. छायाचित्र एवं हस्ताक्षर अपलोड करने की प्रक्रिया

- छायाचित्र एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए पर दो अलग लिंक उपलब्ध होंगे। संबंधित लिंक "छायाचित्र /हस्ताक्षर अपलोड करें" पर क्लिक करें।
- वह लोकेशन चुनें जहाँ छायाचित्र एवं हस्ताक्षर की स्कैन प्रतियाँ रक्षित की गई हैं।
- संबंधित फ़ाइल पर क्लिक कर उसे चुनें।
- "खोलें /अपलोड करें" बटन पर क्लिक करें।
- आपका ऑनलाइन आवेदनपत्र तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक आप अपना छायाचित्र एवं हस्ताक्षर निर्दिष्ट रूप में अपलोड नहीं करेंगे।

टिप्पणी

(1) यदि छायाचित्र में चेहरा और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होंगे तो अभ्यर्थी का आवेदनपत्र रद्द किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदनपत्र में छायाचित्र एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद अभ्यर्थी यह जाँच लें कि छवियाँ स्पष्ट हैं और वे सही तरह से अपलोड हो गई हैं। यदि छायाचित्र और हस्ताक्षर प्रमुखता से दिखाई न दे रहे हों तो अभ्यर्थी अपना फ़ॉर्म प्रस्तुत करने से पहले अपना आवेदनपत्र संपादित करें और अपना छायाचित्र एवं हस्ताक्षर फिर से अपलोड करें।

(2) ऑनलाइन आवेदनपत्र पंजीकृत करने के बाद अभ्यर्थियों को प्रणाली (सिस्टम) से उत्पन्न ऑनलाइन आवेदनपत्र का प्रिंट-आउट लेने की सलाह दी जाती है।

***

सिडबी
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

<u>प्रधान कार्यालय : सिडबी टावर, 15, अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001</u>

<u>सामान्य वर्ग में ग्रेड ए अधिकारियों की भर्ती: 2016</u>

सामान्य अनुदेश

[**कृपया ऑनलाइन आवेदनपत्र भरने से पहले सावधानीपूर्वक पढ़ें**]

1. आवेदनपत्र भरने से पहले अभ्यर्थी यह अवश्य सुनिश्चित करें कि वे जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, उससे संबंधित आयु, शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव, आदि सभी पात्रता मानदंडों को वे **यथा 21 दिसम्बर, 2015 एवं 11 जनवरी, 2016 को, जैसा मामला हो,** पूरा करते हैं और आवेदनपत्र में दिए गए सभी विवरण सभी प्रकार से सही हैं। यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी पात्रता मानदण्डों के किसी भी मानदण्ड को पूरा नहं करता है, और उसने आवेदनपत्र में गलत सूचना दी है या कोई महत्त्वपूर्ण तथ्य छुपाया है /छुपाए हैं, तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है यदि इनमें से कोई कमी/त्रुटि नियुक्ति के बाद भी पकड़ी जाती है, तो उसकी सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं।

2. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति तभी की जाएगी, जब उन्हें बैंक चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त घोषित किया जाएगा, उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के बारे में पुलिस प्राधिकारियों की रिपोर्ट संतोषजनक पाई जाएगी, उसके पिछले नियोक्ता और संदर्भ व्यक्तियों से प्राप्त रिपोर्ट संतोषजनक पई जाएगी और बैंक की पूर्ण संतुष्टि के अनुरूप जाति /जनजाति तथा वर्ग संबंधी प्रमाणपत्र का सत्यापन कर लिया जाएगा अन्य सभी भर्ती-पूर्व औपचारिकताएँ पूरी हो जाएँगी। साथ ही, ऐसी नियुक्ति बैंक के सेवा एवं आचरण नियमों के अधीन होगी।

3. ऑनलाइन आवेदनपत्र का प्रिंट-आउट या कोई अन्य दस्तावेज़ (मूल रूप में या उसकी प्रति) सिडबी के किसी कार्यालय /शाखा को **<u>नहीं भेजी जानी चाहिए</u>**।

4. **अभ्यर्थियों को सावधान किया जाता है** कि वे ऑनलाइन आवेदनपत्र प्रस्तुत करते समय कोई गलत, कपटपूर्ण /गढ़ी हुई सूचनाएँ /विवरण प्रस्तुत न करें या कोई महत्त्वपूर्ण तथ्य न छुपाएँ। **यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी आवेदित पद के पात्रता मानदंडों के किसी भी मानदंड को पूरा नहीं करता है, और /या उसने आवेदनपत्र में गलत सूचना दी है या कोई महत्त्वपूर्ण तथ्य छुपाया है /छुपाए हैं, तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त हो जाएगी। यदि इनमें से कोई कमी/त्रुटि नियुक्ति के बाद भी पकड़ी जाती है, तो उसकी सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं।**

5. सभी शैक्षिक योग्यताएँ अनिवार्य रूप से आवेदनपत्र के प्रस्तुतीकरण की अंतिम तिथि को या उससे पूर्व तथा भारत में स्थित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से प्राप्त की गई हों, जैसा कि विज्ञापन में इंगित किया गया है। यदि प्राप्तांकों के स्थान पर ग्रेड प्रदान किया जाता हो और ग्रेड को अंकीय मान में परिवर्तित करने वाले रूपांतरण चार्ट का उल्लेख अंकपत्र में न हो, तो अभ्यर्थी ग्रेड को अंकीय मान में परिवर्तित करने वाले रूपांतरण चार्ट की प्रति संलग्न करें, जो विभागाध्यक्ष /संस्थान के प्रमुख द्वारा विधिवत् अभिप्रमाणित की गई हो।

6. अभ्यर्थी की पात्रता, चरण जिन पर उक्त पात्रता संबंधी जाँच की जानी है, साक्षात्कार, चयन, आदि के प्रयोजन से प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़, या भर्ती से संबंधित किसी अन्य मामले सहित सभी

मामलों में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा। **इस संबंध में, बैंक किसी पत्राचार या व्यक्तिगत पूछताछ पर कोई विचार नहीं करेगा।**

7. बैंक को रिक्तियों की संख्या के समानुपात में साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या सीमित रखने के उद्देश्य से न्यूनतम पात्रता मानकों को ऊँचा करने / आशोधित करने का अधिकार है। इस संबंध में **अलग से कोई संप्रेषण /पत्रव्यवहार /अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी।**

8. बैंक ऐसा कोई अनुरोध स्वीकार नहीं करेगा, जिसमें अभ्यर्थी ने आवेदन करने के लिए अपनी पात्रता के बारे में कोई सलाह माँगी हो।

9. बैंक चयन प्रक्रिया का अंकपत्र अभ्यर्थियों को नहीं देता है।

10. जमा किया गया आवेदनपत्र वापस करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और भुगतान किया गया आवेदन एवं प्रक्रिया शुल्क / डाक प्रभार किसी भी कारण से **न तो वापस** किया जाएगा और न ही उसे किसी भावी परीक्षा या चयन के लिए प्रारक्षित रखा जाएगा।

11. ऑनलाइन बुलावा-पत्र पर चिपकाई गई हाल ही के पासपोर्ट आकार के **रंगीन छायाचित्र (बिना गहरे रंग के चश्मे के)** की पर्याप्त प्रतियाँ परवर्ती भर्ती औपचारिकताओं के लिए के लिए सुरक्षित रखी जानी चाहिए। **अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि जब तक भर्ती की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, वे अपने रूप-रंग में परिवर्तन न करें। यदि लिखित परीक्षा / साक्षात्कार के समय वही छायाचित्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अभ्यर्थी को अयोग्य ठहराया जा सकता है।**

12. अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के संबंध में, वर्ग/जाति प्रमाणपत्र निर्धारित प्ररूप में और ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र में यह विशेष रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी **संपन्न स्तर की श्रेणी** के अधीन नहीं आता है, जिसे भारत सरकार की नागर(सिविल) पदों एवं सेवाओं में अ.पि.व. के लिए आरक्षण के लाभों से वंचित रखा गया है और यह कि **अ.पि.व. से संबंधित प्रमाणपत्र आवेदन की तिथि को एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।**

13. अन्य पिछड़ा वर्गों को प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं - उस क्षेत्र का (i) ज़िला मजिस्ट्रेट /अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट / ज़िलाधीश / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / उप ज़िलाधीश / प्रथम श्रेणी के वैतनिक मजिस्ट्रेट / उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट / ताल्लुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त (ii) मुख्य प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट (iii) तहसीलदार की श्रेणी का उससे उच्च स्तर का राजस्व अधिकारी (iv) उप-मंडलीय अधिकारी, जहाँ अभ्यर्थी और /या उसका परिवार सामान्यत: निवास करता हो।

14. जब तक जनजाति /जाति प्रमाणपत्र का उचित माध्यम से सत्यापन नहीं हो जाता और जब तक शंसा-पत्रों का सत्यापन नहीं हो जाता, तब तक अभ्यर्थी की नियुक्ति अनंतिम बनी रहेगी। **यदि सत्यापन से यह पता चलता है कि अभ्यर्थी का अन्य पिछड़ा वर्ग (संपन्न वर्ग में में न होने सहित) के होने का दावा और अन्य प्रमाणपत्र झूठे हैं, तो उसकी सेवा बिना कोई कारण बताए तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी। बैंक झूठा/झूठे प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए अभ्यर्थी के विरुद्ध ऐसी कोई आगे की कार्रवाई करने का अधिकार रखता है, जो वह उचित समझे।**

15. साक्षात्कार के दौरान **हिन्दी या अंग्रेजी के प्रयोग का** विकल्प उपलब्ध होगा। **अभ्यर्थी आवेदनपत्र में उपयुक्त जगह पर अपनी पसंद अवश्य इंगित करें। ।**

16. अभ्यर्थियों को भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण / ऑनलाइन /व्यक्तिगत साक्षात्कार परीक्षा में शामिल होने के लिए अपने खर्च / जोखिम पर आना होगा। बैंक किसी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की चोट, क्षति, आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

17. अभ्यर्थियों को साक्षात्कार परीक्षा में शामिल होने के लिए अपने खर्च पर आना होगा। तथापि, साक्षात्कार

के लिए बुलाए गए (नगर से बाहर के) अ.जा./अ.ज.जा./विकलांग व्यक्ति श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों को निकटतम मार्ग से यात्रा करने पर टिकट(रेल, बस आदि)/ दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर किराये का भुगतान किया जाएगा। यह भुगतान उनके आने-जाने के एवज में रेल से द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी के किराये/ बस किराए, वास्तविक भुगतान किए गए किराए, इनमें से जो भी कम हो, के लिए किया जाएगा। <u>उपर्युक्त रियायत अ.जा./अ.ज.जा./विकलांग व्यक्ति वर्ग के उन अभ्यर्थियों को नहीं प्रदान किया जाएगा जो अभ्यर्थी केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार, निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय सरकारी संस्थाओं एवं पंचायतों आदि में सेवारत हैं।</u>

18. जो चयनित अभ्यर्थी सरकारी /अर्द्ध-सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों / उपक्रमों में सेवारत हैं, उन्हें **ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करते समय** अपने नियोक्ता से जारी ***कार्यमुक्ति पत्र / सेवामुक्ति प्रमाणपत्र की मूल प्रति*** अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी। **ऐसा न किए जाने पर उन्हें ड्यूटी पर रिपोर्ट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।** अत: जो अभ्यर्थी सरकारी /अर्द्ध-सरकारी संगठनों, सार्वजिक क्षेत्र के बैंकों / उपक्रमों में सेवारत हैं, वे सिडबी में आवेदन करने से पहले, अपने मौजूदा नियोक्ता के नियमों /विनियमों के अनुसार पूर्व-अनुमति /अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करें, तो बेहतर होगा।

19. केवल वही अभ्यर्थी आवेदन करें, जो भारत में कहीं भी सेवा करने के इच्छुक हों।

20. ऑनलाइन परीक्षा और साक्षात्कार के समय बुलावा-पत्र एवं अभ्यर्थी का मौजूदा वैध फोटो पहचानपत्र, जैसे - पैनकार्ड /पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेन्स/मतदाता पहचानपत्र/फोटो सहित बैंक पासबुक /आधिकारिक पत्रशीर्ष पर राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचानपत्र का प्रमाण / आधिकारिक पत्रशीर्ष पर जन-प्रतिनिधि द्वारा जारी फोटो पहचानपत्र का प्रमाण /मान्यताप्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा जारी हाल का वैध पहचानपत्र/ छायाचित्र के साथ आधार कार्ड/कर्मचारी पहचानपत्र/छायाचित्र के साथ बार काउन्सिल का पहचानपत्र सत्यापन के लिए कक्ष-निरीक्षक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अभ्यर्थी की पहचान उसके बुलावा-पत्र, उपस्थिति-सूची और अपेक्षित दस्तावेज़ों में दिए गए विवरण के संदर्भ में सत्यापित की जाएगी। यदि अभ्यर्थी की पहचान संदेहजनक होगी, तो उसे परीक्षा /साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ई-आधार कार्ड और राशन कार्ड इस कार्य के लिए वैध पहचान पत्र नहीं माने जाएंगे।

टिप्पणी : अभ्यर्थी को परीक्षा और साक्षात्कार में भाग लेते समय क्रमश: परीक्षा के बुलावा-पत्र तथा साक्षात्कार के बुलावा-पत्र के साथ मूल फोटो पहचानपत्र/साक्ष्य दिखाना होगा और फोटो पहचानपत्र/साक्ष्य की प्रति प्रस्तुत करनी होगी, जिसके अभाव में उन्हें परीक्षा /साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थी ध्यान दें कि बुलावा-पत्र में जो नाम दर्शाया गया है (पंजीकरण के दौरान प्रदत्त), वह फोटो पहचान-पत्र में दिए गए नाम से पूर्णत: मेल खाना चाहिए। जिन महिला अभ्यर्थियों ने विवाह के उपरांत प्रथम /अंतिम /मध्य नाम में परिवर्तन किया हो, वे इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। यदि बुलावा-पत्र और फोटो पहचान-पत्र/साक्ष्य में अंकित नाम मेल नहीं खाते होंगे, तो अभ्यर्थी को परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी ने अपना नाम बदल लिया हो तो उन्हें तभी अनुमति दी जाएगी जब वे राजपत्र अधिसूचना/ अपना मूल विवाह प्रमाण-पत्र / मूल शपथपत्र प्रस्तुत करें।

21. कृपया ध्यान दें कि निम्नलिखित दस्तावेज़ों के बिना अभ्यर्थी को ऑनलाइन परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- **(i)** परीक्षा के लिए वैध बुलावा-पत्र
- **(ii)** मूल रूप में फोटो पहचान पत्र**/**साक्ष्य**;**
- **(iii)** फोटो पहचान पत्र**/**साक्ष्य फोटोप्रति

22. देर से अर्थात् परीक्षा**/**साक्षात्कार के लिए बुलावा-पत्र में निर्दिष्ट **रिपोर्टिंग समय के बाद आने वाले**

अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बुलावा-पत्र में अंकित रिपोर्टिंग समय परीक्षा शुरू होने से पहले का समय है। यद्यपि परीक्षा की अवधि 2 घंटे 45 मिनट हैं, किंतु अभ्यर्थियों को परीक्षा स्थल पर लगभग 4 घंटे रहना है, जिसमें विभिन्न अपेक्षित दस्तावेज़ों का सत्यापन एवं संग्रह करने, लाग-इन करने, अनुदेश दिए जाने जैसी औपचारिकताएँ पूरी करने के लिए आवश्यक समय भी शामिल है।

23. <u>दुराचरण /अनुचित साधनों के प्रयोग के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई</u>

अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदनपत्र प्रस्तुत करते समय कोई गलत, कपटपूर्ण /गढ़ी हुई सूचनाएँ /विवरण प्रस्तुत न करें या कोई महत्त्वपूर्ण तथ्य न छुपाएँ। यदि परीक्षा, साक्षात्कार या भर्ती प्रक्रिया के किसी परवर्ती चरण में कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित का दोषी पाया जाता (पाया गया) है -

(क) अनुचित साधनों का प्रयोग या

(ख) पररूप धारण या किसी व्यक्ति द्वारा छद्मरूप धारण या

(ग) परीक्षा कक्ष में / साक्षात्कार के दौरान दुर्व्यवहार या परीक्षा (परीक्षाओं) की किसी विषयवस्तु या उसमें दी गई किसी सूचनाओं का पूर्णतः या अंशतः किसी रूप में या किसी साधन से, मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक रूप में किसी प्रयोजन से प्रकट करना, प्रकाशित करना, प्रतिलिपि बनाना, संप्रेषित करना, भंडारण करना अथवा

(घ) अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी अनियमित या अनुचित साधनों का सहारा लेना या

(ड.) अपनी उम्मीदवारी के संबंध में अनुचित साधनों के माध्यम से समर्थन लेना, या

(च) परीक्षा /साक्षात्कार कक्ष में मोबाइल फोन या संचार के इसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना, ऐसे अभ्यर्थी आपराधिक अभियोजन के पात्र होने के साथ-साथ, निम्नलिखित के भी पात्र होंगे -

(i) उस परीक्षा के लिए अपात्र, जिसके लिए वह अभ्यर्थी है।

(ii) सिडबी द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में भाग लेने से स्थायी रूप से या किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए बहिष्कृत/वर्जित किया जाना।

(iii) यदि उसने सिडबी की सेवा में कार्यग्रहण कर लिया है, तो सेवा की समाप्ति किए जाने के लिए।

महत्त्वपूर्ण:

सिडबी सही और गलत उत्तरों की समानता का पैटर्न जानने के लिए अभ्यर्थियों की उत्तर-पुस्तिकाओं का अन्य अभ्यर्थियों की उत्तर-पुस्तिकाओं के साथ विश्लेषण करेगा। इस संबंध में, यदि बैंक की अपनाई गई विश्लेषण प्रक्रिया में यह अनुमान /निष्कर्ष निकलता है कि उत्तरों को साझा किया गया है और प्राप्त अंक वास्तविक/वैध नहीं हैं, तो सिडबी को संबंधित अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द करने का अधिकार है तथा ऐसे अभ्यर्थियों (अयोग्य) का परिणाम रोक लिया जाएगा।

24. केंद्र, स्थल का पता, आवेदित पद, परीक्षा एवं साक्षात्कार की तिथि एवं समय की सूचना संबंधित बुलावा-पत्र में दी जाएगी। जिस अभ्यर्थी ने सफलतापूर्वक पंजीकरण कराया हो, वह सिडबी की वेबसाइट **www.sidbi.in** में अपना विवरण, अर्थात् पंजीकरण संख्या तथा पासवर्ड/जन्मतिथि प्रविष्ट कर अपना बुलावा-पत्र डाउनलोड कर सकता /सकती है। बुलावा-पत्र या विवरण पुस्तिका की हार्ड प्रति डाक /कुरियर से नहीं भेजी जाएगी। सूचना ऑनलाइन आवेदनपत्र में पंजीकृत ई-मेल पते तथा मोबाइल संख्या पर ई-मेल और /एसएमएस से भेजी जाएगी। मोबाइल संख्या या ई-मेल पते में किसी परिवर्तन, तकनीकी त्रुटि या बैंक के नियंत्रण से बाहर किसी अन्यथा कारण से ई-मेल या एसएमएस के माध्यम से भेजी गई किसी सूचना के देर से प्राप्त होने अथावा प्राप्त न होने के लिए सिडबी उत्तरदायी नहीं होगा। अतः

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के दौरान विवरण, अद्यतन सूचनाओं या अन्य किसी ऐसी सूचना के लिए नियमित रूप से सिडबी की वेबसाइट **www.sidbi.in** देखते रहें, जो अतिरिक्त मार्गदर्शन के लिए वेबसाइट पर डाली जाएगी तथा समय-समय पर अपने पंजीकृत ई-मेल खाते का अवलोकन करते रहें।

25. परीक्षा के आयोजन में कुछ ऐसी समस्याएँ आने की संभावना को पूर्णतः नकारा नहीं जा सकता है, जिनसे परीक्षा संपन्न किए जाने और /या परीक्षा परिणाम उत्पन्न होने पर प्रभाव पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में, समस्या के समाधान का हर संभव प्रयास किया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी को अन्य केंद्र पर स्थानांतरित (शिफ़्ट) किया जाना या देर से परीक्षा शामिल है। पुनर्परीक्षा आयोजित किया जाना पूर्णतः परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था का विवेकाधिकार है। अभ्यर्थी पुनर्परीक्षा का कोई दावा नहीं कर सकेंगे। जो अभ्यर्थी स्थानांतरित होने या देर से आयोजित होने वाली परीक्षा में भागीदारी के लिए इच्छुक नहीं होंगे उनकी उम्मीदवारी समाप्त हो जाएगी।

26. यदि परीक्षा एक से अधिक सत्रों में आयोजित की जाएगी, तो सभी सत्रों में प्रयुक्त विभिन्न परीक्षा बैटरियों के कठिनाई स्तर के मामूली अंतरों के समायोजन के लिए विभिन्न सत्रों के प्राप्तांकों को समीकृत किया (समस्तरीय बनाया) जाएगा। एक से अधिक सत्र उस स्थिति में अपेक्षित होते हैं, जब नोड क्षमता कम हो या किसी केंद्र पर या किसी अभ्यर्थी के लिए कुछ तकनीकी बाधाएँ आ जाती हैं।

27. **चयनित अभ्यर्थी को 3 वर्ष की अवधि के लिए बैंक में सेवा करने या 3 वर्ष की सेवा अवधि पूरी होने से पहले उसके बैंक से त्यागपत्र देने की स्थिति में बैंक को `2 लाख की रक़म अदा करने से संबंधित सेवा बांड वचनपत्र निष्पादित करना होगा।**

28. प्रत्युत्तरों (आवेदनपत्रों की संख्या) एवं प्रशासनिक व्यवहार्यता, आदि के आधार पर बैंक परीक्षा /साक्षात्कार के लिए किसी केंद्र को निरस्त करने और / या नए केंद्र जोड़ने का अधिकार रखता है। बैंक को किसी अभ्यर्थी को उसके पसंदीदा केंद्र के स्थान पर कोई अन्य केंद्र आवंटित करने का भी अधिकार है।

29. इस विज्ञापन और /या इसके प्रत्युत्तर में दिए गए आवेदनपत्रों के फलस्वरूप उत्पन्न किसी दावे या विवाद से संबंधित मामलों के संबंध में कोई विधिक कार्यवाही केवल लखनऊ में की जा सकती है और लखनऊ स्थित न्यायालय /न्यायाधिकरण /मंच ही किसी धारा /विवाद पर न्यायिक विचार करने के लिए एकमात्र एवं अनन्य अधिकार रखते हैं।

30. अभ्यर्थी **प्रणाली (सिस्टम) से उत्पन्न आवेदनपत्र का प्रिंट-आउट /पंजीकरण संख्या /पासवर्ड भावी उपयोग के लिए अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।** पंजीकरण संख्या या पासवर्ड भेजे जाने संबंधी किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

31. **किसी प्रकार का अनुयाचन (सिफारिश) अयोग्यता होगी।**

32. चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी चरण में यदि किसी अभ्यर्थी को गलत सूचना और/या प्रक्रिया के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो उस स्थिति में चयन प्रक्रिया में उस अभ्यर्थी को अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। उस अभ्यर्थी को भविष्य में सिडबी की किसी भर्ती प्रक्रिया में उपस्थित होने नहीं दिया जाएगा। यदि वर्तमान चयन प्रक्रिया के दौरान इस प्रकार के प्रकरण का पता नहीं चलता है किन्तु वह बाद में पता चलता है तो अयोग्यता पूर्ववर्ती प्रभाव से होगी।

33. बैंक को यह अधिकार है कि वह बिना कोई कारण बताए किसी भी चरण में कोई आवेदनपत्र /उम्मीदवारी निरस्त कर दे और बैंक का निर्णय अभ्यर्थी पर बाध्यकारी होगा।

***